झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 12 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती चैती मिंज एवं अन्य

बनाम

प्रतिवादी DSO, गढ़वा

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
06.03.23.	वाद सं0–12/2023	

वाद सं0–12/2023

परिवादी श्रीमती चैती मिंज, ग्राम–बिन्जपुर, पंचायत–टेहरी, प्रखण्ड–बरगड़, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र दिनांक–01.11.2022 को आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 पर प्राप्त हुआ।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में PDS वितरक श्री बृजमोहन मिंज, अनु0 सं0–19/89 के विरूद्ध निम्न से संबंधित शिकायत पत्र उपलब्ध कराया गयाः–

1. परिवादी द्वारा शिकायत किया गया है कि PDS वितरक बृजमोहन मिंज द्वारा माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर का राशन अबतक वितरण नहीं किया गया।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानुन–2013 के तहत् वितरण किया जाने वाला खाद्यान्न PH एवं AAY माह फरवरी, 2020 से प्रति व्यक्ति 500 ग्रा0 अनाज की कटौती किया जाना।
3. लाभुक श्रीमती चैती मिंज को उनकी अहर्ता 40 कि0ग्रा0 अनाज के स्थान पर 35 कि0ग्रा0 अनाज देना।
4. PMGKAY अनाज वितरण में भी प्रति व्यक्ति 500 ग्रा0 अनाज कटौती करना।
5. डीलर द्वारा राशन कार्ड रद्द करा दिये जाने की धमकी देना।

उक्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक–WA/427/2022 दिनांक–04.11.2022 द्वारा DGRO, गढ़वा को ई लेटर के माध्यम से सुनवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति DSO, गढ़वा को भी भेजी गई। किन्तु कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

6.3.23 | 06/03/23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।